

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

ज.वि.प्रा./स.स./बी.पी.सी.(बीपी)/2015/डी-26/12

दिनांक- 02/12/2015

श्री अकनीश बराल,
निदेशक,
पॉर जगज नदियी रियल्टर्स प्रा.लि.,
सी-110, गारुड मार्ग, हनुमान नगर,
जयपुर।

विषय :-

गूखण्ड संख्या एच-138, गोवर्धन विहार, ग्राम-जैनपुरा मोहनपुरा जर्क भालवा व नाहरिया का बास, उपसीत-याकसू, जयपुर के प्रस्तावित EWS/LIG के संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।

महोदय,

आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 25.02.2015 के संदर्भ में जो प्रस्ताव गूखण्ड संख्या एच-138, गोवर्धन विहार, ग्राम-जैनपुरा मोहनपुरा जर्क भालवा व नाहरिया का बास, तहसील-याकसू, जयपुर में स्थित गूखण्ड (कुल क्षेत्रफल 1083.47 वर्ग मीटर) पर 27.10 मीटर ऊँचाई के (स्टिक्ट + 8 मजिल) के प्रस्तावित EWS/LIG के संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किसे पत्र थे उनकी स्वीकृति भवन मानचित्र समिति (बी.पी.) की 173वीं बैठक दिनांक 18.06.2015 को निम्न शर्तों के साथ दी गयी है:-

1. यह भवन अनुज्ञा माह (भारतीय विमानवाहन प्राधिकरण की अनापत्ति क्रमांक AA/RHQ/NR/ATM/NOG/2015/78/1520-23 दिनांक 18.03.2015 के अनुसार) दिनांक 17.03.2020 तक प्रभावी है।
2. भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन (देवियेशन) नहीं किया जायेगा।
3. गूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविज्ञ का कर्तव्य होगा कि वो यह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृति मानचित्र प्रचलित मास्टर प्लान/जोनल प्लान/भवन विधियों के अनुरूप है। यदि कोई उल्लंघन प्राधिकरण की जानकारी में आया तो प्राधिकरण को भवन मानचित्रों की दो मरी अनुज्ञा रद्द करने का अधिकार होगा तथा प्राधिकरण से प्रार्थों को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हक नहीं होगा।
4. आप द्वारा भवन विधियमा 2010 की धारा 15.2 के अनुसार भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय एक सूचना पट्ट नोके पर लगाया जायेगा। जिसमें संबंधित आयुक्त/उपायुक्त संबंधित जौन व प्रवर्तन अधिकारी के टेल्फोन नम्बर इत्यादि अंकित किये जाने होंगे व अनुमोदित मानचित्र की सूचना व अनुमोदन की शर्तें अंकित की जायेगी। निर्माण के दौरान अनुमोदित मानचित्र की एक प्रति आवश्यक रूप से निर्माणकर्ता द्वारा नोके पर रखी जायेगी।
5. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आप अभ्योक्ताक्षरकर्ता एवं उपायुक्त जौन-14 प्राधिकरण को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करेंगे।
6. आप द्वारा भवन विधियमा 2010 की धारा 15.3 के अनुसार भवन निर्माणकर्ता द्वारा स्विम्ब तैयार तक का निर्माण पूर्ण होने की सूचना निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक रूप से संबंधित उपायुक्त जौन 14 को दी जानी होगी, यदि इसकी अनुपालना भवन निर्माता द्वारा नहीं की जाती है तो जारी अनुज्ञा को वापस ले लिया जायेगा।
7. भवन विधियमा 2010 की धारा 15.6 के अनुसार भवन विधियम के अंशों के अनुरूप भवन निर्माण करने की जिम्मेदारी भवन निर्माण अनुज्ञाधारी की होगी।
8. उक्त स्वीकृति के कारण यदि जयपुर विकास प्राधिकरण को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विधियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पड़े या देने योग्य हो तो प्रार्थों उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
9. दरवाजे एवं छिड़कियाँ इस प्रकार लगाए जायें कि वो राइक की ओर निकले हुए नहीं हों।
10. स्वामी प्रत्येक मंजिल के लिए स्वीकृत आवासीय इकाई से अधिक का निर्माण नहीं करेंगे।
11. ऊपर वर्णित शर्तों एवं अन्य कोई संबंधित शर्तें का पालन नहीं होने पर भवन अनुज्ञा रद्द भानी जायेगी।
12. स्वामी भवन के परिसर को स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेंगे।

13. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घन्टे के अन्दर यथाहित प्रमाण-पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।
14. स्वीकृत मानचित्र को भासि दिनांक से राज्य स्तर के सामाचार-पत्र में एक सप्ताह में प्रकाशित करने होंगे तथा इसकी सूचना संबंधित उपपुस्तक जोन को देना।
15. आवेदक द्वारा पाकिंग क्षेत्र की पालना भवन विनियम 2011 के विनियम 10.1.8 के अनुसार सुनिश्चित की जानी होगी।
16. भवन परिसर में ही आगुलकों की पार्किंग करवाई जावे तथा आगुलकों हेतु निशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगाया जावे।
17. भवन विनियम की धारा 18.5 की अनुपालना में भवन में भूकम्परोधी प्रावधान रखा जाना सुनिश्चित किया जावे।
18. अभिनयमान दृष्टि से सक्षम अधिकारी द्वारा दिये गये अनापति प्रमाण पत्र की शर्तों की पालना सुनिश्चिता की जाती आवश्यक होगी तथा भवन की आवश्यकतानुसार अभिनयमान यंत्र (Fine Examination) रखे जावे तथा इनको संचालित करने के लिये प्रशिक्षित व्यक्ति ऐसे भवन में हर समय उपलब्ध रहें।
19. निर्माण स्थल पर स्वीकृति का विवरण अर्थात अनुमोदित मानचित्र, उपलब्ध पाकिंग की सूचना एवं भवन में सुरक्षा एवं विकास प्लान (EscAPE Plan) का नक्शा भी प्रदर्शित (Display) उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित किया जावे।
20. अधिवास प्रमाण पत्र भवन निर्मित होने के उपरान्त आवश्यक रूप से दिया जाना होगा।
21. भवन का उपयोग प्रारंभ होने पर एक केयर टेकर की नियुक्ति की जावे जिसके पास भवन का मानचित्र, सुरक्षा एवं विकास प्लान (EscAPE Plan) उपलब्ध रहें। इस प्रकार नियुक्त केयर टेकर के मोबाईल नंबर एवं Land Line Number भी लिखे जाकर पुलिस आयुक्त जयपुर महानगर व अग्निहस्ताक्षरकर्ता को सूचना उपलब्ध करवाई जावे ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बचाव कार्य प्रभावी रूप से किये जा सकें।
22. भवन विनियम 2010 की धारा 17.3 की अनुपालना में "गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अध्या तथ्यों को छुपकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।"

संलग्न:- मानचित्रों की प्रति का 1 सेट (05 मानचित्र)

प्रतिनिधि:- सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

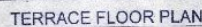
1. मुख्य नियंत्रक (प्रवर्तन), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की एक प्रति (05 मानचित्र) संलग्न कर अभिन कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. उपपुस्तक, जोन-14, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की एक प्रति (05 मानचित्र) संलग्न कर अभिन कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. अधिशासी अभियन्ता, बीपीसी-द्वितीय, जयपुर, जयपुर को मानचित्रों की एक प्रति (05 मानचित्र) संलग्न कर अभिन कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
4. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम लिड विद्युत भवन जनपथ, जयपुर को सूचना एवं प्रेषित है।
5. मुख्य अभियन्ता, मुख्यालय जन स्याध अभियंत्रिकी विभाग हसनपुरा रोड, देवले हॉस्पिटल के पास, जयपुर को सूचना एवं प्रेषित है।

भवन मानचित्र समिति (बी.पी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

वरिष्ठ नगर नियोजक एवं
सदस्य सचिव

(मुकेश मिश्रा)
वरिष्ठ नगर नियोजक एवं
सदस्य सचिव

(मुकेश मिश्रा)
वरिष्ठ नगर नियोजक एवं
सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति (बी.पी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।



B. FIRST TO EIGHTH FLOOR PLAN

1. संज्ञा : एक प्रकार का वाक्य है जिसमें किसी वस्तु या
 2. व्यक्ति का उल्लेख किया गया हो।
 3. उदाहरण : लाल, बड़ा, सुन्दर, लड़का, गुरु, पुष्प, पत्थर, पानी, आदि।
 4. विशेषण : जिस वाक्य में किसी वस्तु या व्यक्ति के
 5. गुण का उल्लेख किया गया हो।
 6. उदाहरण : लाल, बड़ा, सुन्दर, लड़का, गुरु, पुष्प, पत्थर, पानी, आदि।
 7. क्रिया : जिस वाक्य में किसी वस्तु या व्यक्ति का
 8. कार्य का उल्लेख किया गया हो।
 9. उदाहरण : लाल, बड़ा, सुन्दर, लड़का, गुरु, पुष्प, पत्थर, पानी, आदि।
 10. संज्ञा : एक प्रकार का वाक्य है जिसमें किसी वस्तु या

[illegible]

पुस्तकालय का सम्बन्धित किताब का नाम
 इन्द्रायुध अग्निप्रकाश : प्रति रत्नाकर
 भाषा - संस्कृत
 लेखक :
 विषय :
 कवि :
 प्रतिष्ठान :
 वर्ष :
 पृष्ठसंख्या :
 कोटेशन नं. :
 कोटेशन स्थान :
 कोटेशन तिथि :
 कोटेशन व्यक्ति :

[illegible]

SECTION THROUGH R.W. HARVESTING PIT 5

1. PLOT AREA = 1083.47 Sq.mt
2. PROPOSED FAR AREA= 2356.07 SQ M
3. GREEN AREA = 162.672 Sq Mtr (15.01 %)
4. PROPOSED HEIGHT = 27.10 Mtr

E.C.U. FOR PARKING REQUIRED RESIDENCE = 2356.07 / 75
= 31.41 E.C.U.

E.C.U. PROVIDED

4. TOTAL

ANNA KRISHNAN

CONCLUDED

ARCHITECT :

SPACE GRID

C-49, MEYA APPT., BAPU NAGR,
JALPAIGUR, PH-09314918766-09314510803

[Faint handwritten notes and signatures are visible at the bottom of the page.]



FRONT: PROPOSED EWS JUE AT PLOT NO.132, GOVERNMENT VILLAGE
HUBLOCK WILLIAMS & HUGHES PLOT NO.132, MALAYA S
KADITHA MANJES ITH CHAKSI, JALUR
REAR: SPACE GRID
CASA DE LA FAMILIA
JALUR NO.132, GOVERNMENT VILLAGE

